

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 391] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 19, 1978/ भावण 28, 1900
No. 391] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 19, 1978/SHRAVANA 28, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

गृह मंत्रालय

कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1978

अधिसूचना

का० घा० 509(अ):-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2) की धारा 24
की उप-धारा (6) के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली/
नई दिल्ली/कलकत्ता में विचारण, अपीलीय तथा पुनरीक्षण न्यायालयों में श्रीमती इन्दिरा गांधी
तथा अन्य के विरुद्ध दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना नियमित मामला सं० 9/77 एफ० एस० (1)

में अभियोजन तथा उससे उत्पन्न किसी अन्य मामले का भी संचालन करने के लिए सर्वश्री कार्ल खण्डालवाला तथा पी० आर० वकील, अधिवक्ता, बम्बई को विशेष लोक अभियोजकों के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 225/30/78-ए०पी०डी०-2]

एस० के० लाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and A. R.)

New Delhi, the 19th August, 1978

NOTIFICATION

S.O. 509(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Sarvashri Karl Khandalwala and P. R. Vakil, Advocates, Bombay, as Special Public Prosecutors for conducting the prosecution and also any other matter arising out of the Delhi Special Police Establishment Regular Case No. 9/77-FS(1) against Smt. Indira Gandhi and others in the trial, appellate and revisional courts at Delhi/New Delhi/Calcutta.

[No. 225/30/78-AVD. II]

S. K. LAL, Joint Secy.